


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.78/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
16.5.2023 d	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरिश प्रजापत पुत्र श्री झालाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- राजकीय सीनीयर स्कूल के पास, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, एचडीएफसी बैंक के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 12.3.2022 को फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, एचडीएफसी बैंक के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी हरिश प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) का नमूना संख्या S-1744 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./794/Act/2022/775 दिनांक 24.3.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 12.3.2022 को फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, एचडीएफसी बैंक के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता हरिश प्रजापत पुत्र श्री झालाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- राजकीय सीनीयर स्कूल के पास, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही से फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट की दुकान में आलमारी की रेक में रखे हुए खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) के 18 पैकड पाउच (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) के 8 पैकड पाउच (प्रत्येक 250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष .....लगातार</p>	



द.जि. सिरौही  
सिरौही-307001



<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.78/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए</p>
	<p>कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) के नमूना संख्या S-1744 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./794/Act/ 2022/775 दिनांक 24.3.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरिश प्रजापत ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Gum (गोंद कणी) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हरिश प्रजापत पुत्र श्री झालाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- राजकीय सीनीयर स्कूल के पास, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, एचडीएफसी बैंक के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 4,000/- (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी हरिश प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.6.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">d (के.आर.खोड़) प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001</p>	

